राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 6(20) प्र.सु./ग्रुप–3/2016 जयपुर, दिनांक 01-04-2016

आज्ञा

महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राज्य में तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :–

क्रं. सं.	अधिकारी	पद
1	कलक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3	एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4	तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि	सदस्य
5	एक मनोवैज्ञानिक/(स्थानीय स्तर पर उपलब्ध)	सदस्य
6	उपनिदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि	सदस्य – सचिव

उक्त समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों की पहचान कर प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र जारी करने का कार्य करेगी। यह प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए मान्य होगा।

उक्त जिला स्तरीय समिति में क्रम संख्या (3) पर अंकित सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्रम संख्या (4) पर अंकित तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि सदस्य जिला कलक्टर की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

क्रम संख्या (5) पर मनोवैज्ञानिक की शैक्षणिक योग्यता एम. ए. (साइकोलोजी) होगी एवं अनुभवी व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, तथा ये बिना कारण बताये हटाये जा सकेंगे।

समिति की बैठक आवश्यकतानुसार जिला कलक्टर द्वारा आयोजित की जायेगी। इस संबंध में आवश्यक इस्तावेज जैसें पंजिकाऐं/पत्रावलियां आदि जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक (सदस्य–सचिव) द्वारा संधारित की जायेंगी। समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से

र. भारद्वाज
(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव